<u>न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा।</u>

राज्य बनाम नेमपाल सिंह पूर्व प्रधान आदि।

मु.अ.सं.– 289/2017

धारा–147,427,447,504,506आई.पी.सी.

थाना– भगतपुर

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

<u>05.08.2019</u>

अभियुक्तगण अशरफ अली, इन्तिजार, नईमुद्दीन, व शीशपाल की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु.अ.सं.– 289/2017 धारा–147,427,447,504,506 आई. पी.सी. थाना भगतपर जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है वह निर्दोष है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

प्रार्थनापत्र पर सुना, अभियोजन आख्या व पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण की जमानत का पर्याप्त आधार है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण अशरफ अली, इन्तिजार, नईमुद्दीन, व शीशपाल द्वारा पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये के दो–दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का वयक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।